अतिआवश्यक 43

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

क्रमांक प. 19(2)प्र.सु./आरटीआई/2010 जयपुर दिनांक 21.09.2010

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

   ....विभाग

2. समस्त संभागीय आयुक्त

   ....संभाग

3. समस्त जिला कलक्टर

   जिला ....

4. समस्त पुलिस अधीक्षक

   जिला ....

विषय : विभागों एवं कार्यालयों में समर्पित सेल के गठन के संबंध में।

महोदय,

उक्त विषय में लेख है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वंय विभाग के स्तर से समर्पित सेल के गठन के संबंध में पूर्व पत्र दिनांक 16.9.2010 की ओर ध्यान आकर्षित कर लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2010–11 के बिन्दु संख्या 4(iii) में "प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार को ओर प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु निर्देश क्रमांक प. 17(1)प्र.सु./आरटीआई/2010 दिनांक 8.6.2010 मे यह निर्णय लिया गया था कि –

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन तत्परता प्रभावी ढंग से जनहित में पूर्ण जनसुविधा के साथ हो रहा है अथवा नहीं की समीक्षा हेतु शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर प्रत्येक विभाग में नियुक्त लोक सूचना अधिकार और सहायक लोक सूचना अधिकारी के अतिरिक्त एक समर्पित सेल का गठन भी किया जाना है। सेल में कम से कम 3 अधिकारी होने चाहिए। सेल के द्वारा शासन स्तर, विभाग स्तर पर पृथक–पृथक सूचना का अधिकार अधिनियम की क्रियान्विति का निरीक्षण एवं समीक्षा की जाकर प्रशासनिक सुधार विभाग को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी जानी है।"

माह सितम्बर, 2010 में प्रत्येक विभाग में समर्पित सेल के गठन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जानी है। अतः कृपया आपके विभाग/कार्यालय में समर्पित सेल का गठन कर सूचना निम्न प्रारूप में 30.9.2010 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करे:–

विभाग/कार्यालय का नाम ....

क्र.सं.	समर्पित सेल के अधिकारीगण का नाम व पदनाम	दूरभाष नम्बर

चूंकि उक्त अधिकारीगणका प्रशिक्षण एचसीएम रीपा में कराया जाना है। अतः निर्धारित तिथी तक आवश्यक रूपसे उक्त सूचना भेजना सुनिश्चित करने की कृपा करे।

21.9.10

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

विषय : सूचना के अधिकार के तहत मासिक सूचना भेजने जाने के संबंध में।
संदर्भ : पूर्व प्रेषित अशा.टीप दिनाक 16.9.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निकट भविष्य में सूचना के अधिकार के तहत भेजे जाने वाली सूचना के विषय पर बैठक आयोजित की जानी है तथा आप द्वारा माह अगस्त की सूचना अभी तक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ में नहीं भेजी गई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त सूचना तत्काल प्रभाव से दिनांक 22.9.2010 तक निर्धारित प्रारूप में भेजना सुनिश्चित करे।

सामान्य रूप से यह भी देखा गया है कि नोडल अधिकारी तीनों प्रारूप में सूचना नहीं भेजते है। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त सूचना तीनों प्रारूप में भेजना सुनिश्चित करे तथा नोडल अधिकारी का नाम, पद, कार्यालय दूरभाष के कॉलम की भी पूर्ति करे।

21.9.10
उप शासन सचिव

अति आवश्यक

नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार
....विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

अशा.टीप सं. प. 21(4)प्र.सु./सू.अ.प्र./2010
जयपुर, दिनांक 21.9.2010